

बरेलवी हज़रात को हदिया

तहरीर

मुहम्मद मोनिस नक़्शबन्दी

गुज़ारिश !

ये तहरीर खुसूसन बरेलवी हज़रात के लिए है लेकिन इस तहरीर को हर एक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अक़ायद दुरुस्त न हुए तो तमाम आमाल गारत (बेकार) हो जाएंगे , इसलिए तमाम हज़रात पूरे ध्यान के साथ पढ़ें ।

● इस तहरीर को पढ़ने से पहले नियत कर लें कि हक़ बात क़ुबूल करनी है , ऐसा न हो कि बात समझ जाने के बाद भी ज़िद पर अड़े रहें , और अल्लाह से दुआ भी कर लें कि ऐ अल्लाह मुझे हक़ बात क़ुबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा । और तहरीर पूरी पढ़े ।

तहरीर पढ़ लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें ।

❤❤❤

● बरेलवी हज़रात से वैसे तो हमारे कई इख़्तिलाफ़ात हैं लेकिन बुनियादी इख़्तिलाफ़ अक़ायद में है जिसमें से कई अक़ायद ऐसे हैं जिनसे ईमान के सल्ब होने का खतरा है और बाज़ अक़ायद में शिर्क की मिलावट है वह इख़्तिलाफ़ ये हैं -

1》 नबी ﷺ के नूर और बशर होने में,
2》 नबी ﷺ के आलिमुल ग़ैब होने न होने में,
3》 नबी ﷺ के हाज़िर व नाज़िर होने और न होने में,
4》 नबी ﷺ के मुखतार ए कुल होने और न होने में,
5》 ग़ैरुल्लाह से मदद मांगने और न मांगने में,

तमाम इख्तिलाफात का तरतीब के साथ हल आपके सामने पेश किया जाएगा , इन शा अल्लाह ।

1》 आप ﷺ नूर थे या बशर ?

1》 आप ﷺ नूर थे या बशर ?

बरेलवी हज़रात का अक़ीदा -

मुफ़्ती अहमद यार नईमी यूं लिखते हैं - अब जो नबी ﷺ को बशर कहे वो काफिर है ।

मज़ीद लिखते हैं -
उन को बशर मानना ईमान नहीं ।
[तफ़सीर ए नईमी सूर बक़रह आयत नं. 3 की तफ़सीर]

● क़ुर'आनी फ़ैसला -

अल्लाह तआला का इर्शाद है - कह दीजिए कि मैं तो तुम्हीं जैसा एक बशर (इन्सान) हूं , अलबत्ता मुझ पर ये वह्यी आती है कि तुम सब का खुदा बस एक खुदा है ।
[सूरः कहफ़ आयत नं 110]

○ इस आयत से आप ﷺ का बशर होना बिल्कुल वाज़ेह है ।

● हदीस में सराहत -

○ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि. से रिवायत है कि नबी ए अकरम ﷺ नमाज़ पढ़ा रहे थे और नमाज़ में भूल हो गई , जब नबी ए अकरम ने सजदा सह्व कर लिया तो फ़रमाने लगे ,

○ (إنما أنا بشر مثلكم كما انسى تنسون فاذا نسيت فذكرونى)

● मैं भी इन्सान हूं जैसे तुम इन्सान हो , मैं भी भूलता हूं जैसे तुम भूलते हो जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाया करो ।
[सही मुस्लिम : 1228]

○ इस हदीस से भी आप ﷺ का बशर होना साबित होता है , और जितने भी अम्बिया हैं तमाम के तमाम बशर ही थे , न कोई जिन्न में से नबी हुआ है और न फ़रिशतों में से जैसा कि क़ुर'आन में (सूरः अनआम की आयत नं 50 में) है - मैं फ़रिशता (नूरी) नहीं हूं ।

और इब्ने कसीर रह. कहते हैं " कोई नबी जिन्नात में से नहीं हुआ ।

● अब आप फ़ैसला करें कि जब आप ﷺ फ़रिशता भी नहीं थे जिन्नात में से भी नही थे , और अब बरेलवी हज़रात कहते हैं बशर (इन्सान) भी नहीं थे तो आखिर थे क्या ?

● इसीलिए अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम बशर (इन्सानों) में से हुए हैं ।

● अब कुछ नादान कहते हैं कि जब आप ﷺ बशर थे तो फिर फ़ज़ीलत क्या रही ?

तो समझें एक होता है बशरियत में हमारी तरह होना और एक होता है अफ़ज़लियत में हमारी तरह होना दोनों में ज़मीन - आसमान का फ़र्क़ है -

मिसाल - अब सोचें आप भी बशर हैं और

आप के वालिद साहब भी लेकिन दर्जे का फ़र्क़ तो है ना ? हम भी बशर सहाबा भी बशर लेकिन उनका मक़ाम कितना ऊंचा है ,

इसी तरह सहाबा भी बशर अम्बिया भी बशर लेकिन अम्बिया सहाबा से अफ़ज़ल ,

तमाम अम्बिया भी बशर और ईमामुल अम्बिया भी बशर लेकिन आप ﷺ का मक़ाम तमाम नबियों में सबसे आला है , तो पता चला बशर होने से अफ़ज़लियत में कमी नहीं आती ।

● और यह भी समझें कि अल्लाह तआला ने अशरफुल मखलूक़ात इन्सानों को बनाया , अगर आप ﷺ को इन्सान न मानें तब तो अशरफ़ होने में फ़र्क़ आता है ,

● इसीलिए आप ﷺ बशर ही नहीं बल्कि अफ़ज़लुल बशर थे , यानी तमाम इन्सानों में सबसे अफ़ज़ल, और अल्लाह की ज़ात के बाद जो ज़ात है वो रसूलुल्लाह ﷺ की है ।

2》 क्या नबी ﷺ आलिमुल ग़ैब थे ?

● क़ुर'आनी फ़ैसला -
अल्लाह तआला का इर्शाद है -
● قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

अल्लाह तआला का फ़रमान है :- कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में किसी को भी ग़ैब का इल्म नहीं है ,
और लोगों को ये भी नहीं पता है कि उन्हें कब उठाया जाएगा ।
[सूरः नम्ल , आयत नं. 65]

दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया -

● (ऐ पैग़म्बर) उन से कहिए : मैं तुम से ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं , और न मैं ग़ैब का इल्म रखता हूं ।
[सूरः अनआम , आयत नं. 50]

● इन आयात से साफ़ पता चलता है कि आलिमुल ग़ैब सिर्फ अल्लाह है , अब जो लोग सवाल करते हैं कि आप ﷺ ने कब्र की हश्र की क़यामत वगैरह की जो खबर दी क्या वो ग़ैब की बात नहीं ?

तो बात समझे बेशक आप ﷺ ने बहुत सी ग़ैब की बातों की खबर दीं लेकिन इस वजह से आप ﷺ को आलिमुल ग़ैब नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह तमाम ग़ैब की बातें आप ﷺ ने अपनी तरफ़ से नहीं बतायी बल्कि अल्लाह ने हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए बतायी तब आप ﷺ ने हमें बतायी ,

● इल्म ए ग़ैब ये अल्लाह तआला की खास सिफ़त है जिसमें कोई शरीक नहीं ।

ग़ैब जब तक अल्लाह के इल्म में हो ग़ैब होता है , और जब अल्लाह तआला हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने नबी ﷺ पर वह्यी करें तो वह इत्तेला अलल ग़ैब

है , या इल्मुल वह्यी , इल्मुन्नबुव्वत है , यानी अल्लाह का दिया हुआ इल्म, और जब किसी वली तक पहुंचे तो वो इल्हाम है ।
सबके इल्म में फ़र्क है - इसीलिए -

● हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रह. कहते हैं - " जो शख़्स ये ऐतक़ाद (अक़ीदा) रखे कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ग़ैब जानते थे , तो वह काफ़िर है क्योंकि इल्मे ग़ैब एक ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह तआला के साथ मुख़्तिस (मखसूस , ख़ास) है ।
[मिरातुल हक़ीक़त सफ़ा 18 📔]

तो अब ठंडे ज़हन से सोचें की आपका क्या अक़ीदा है ?

-

3》 क्या आप ﷺ हाज़िर और नाज़िर हैं ?

हाज़िर व नाज़िर अरबी के लफ़्ज हैं जिसके मानी हैं मौजूद और देखने वाला

बरेलवी मौलवी फ़ैज़ अहमद उवैसी लिखते हैं - हुज़ूर ﷺ के हाज़िर व नाज़िर होने का इन्कार वही करेगा जो या तो अपने आप को मोमिन न जाने या हुज़ूर पुरनूर ﷺ को नबी न समझे ।
[सहाबा ए किराम का अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर सफ़ा 8]

● क़ुर'आनी फ़ैसला -
अल्लाह तआला का इर्शाद है - पाक ज़ात है जो ले गया अपने बन्दे को रातों रात मस्जिद ए हराम से मस्जिद ए अक़सा तक ।
[सूरः इसरा : आयत नं. 1]

● अगर आप ﷺ हर जगह हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर होते एक रात में एक जगह से दूसरी

जगह ले जाने का क्या मतलब हुआ ? सैर कराना और मुख्तलिफ़ जगह का दौरा कराना तो ये मुआमलात उसके साथ किए जाते हैं जो पहले से मौजूद न हो, अगर पहले से ही मौजूद हो तो मस्जिद ए अक़सा तक कराने की क्या ज़रूरत ?

● हदीस में सराहत -
हज़रत नवास बिन सम'आन रज़ि. से रिवायत है कि एक मर्तबा आप ﷺ दज्जाल का ज़िक्र करते हुए फ़रमाने लगे कि अगर वो मेरी मौजूदगी में ज़ाहिर हो गया तो मैं खुद उसके लिए काफी हूं , यानी आप लोगों को मज़ीद हिफ़ाजत की ज़रूरत नहीं होगी , और अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में निकल आया तो हर आदमी खुद अपना मुहाफ़िज़ होगा ।
[सही मुस्लिम, किताबुल फ़ितन , जिल्द 1 सफा 401]

खुलासा : आप ﷺ के ये मौजूदगी और गैर मौजूदगी के अल्फ़ाज़ आप को हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर होने की नफ़ी कर रहे ।

● अक़्ली दलील -

○ आप सब के इल्म में होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिली और 63 साल की उम्र में विसाल हुआ, कुल 23 साल के अर्से में आप (ﷺ) 13 साल मक्का में रहे फ़िर हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए , अब सवाल है अगर आप (ﷺ) हर जगह हाज़िर व नाज़िर थे तो फ़िर मक्का से मदीना हिजरत की क्या ज़रूरत रही ? यानी जब आप (ﷺ) मक्का में भी हों और मदीना में भी तो हिजरत की ज़रूरत क्या रही ?

○ अब मैं बा अदब सवाल करता हूं कि जब आप लोगों का अक़ीदा है कि आप ﷺ हर वक़्त हर जगह मौजूद हैं फ़िर आपको हाज़री देने के लिए आपके रौज़े पहुंचने की क्या ज़रूरत ?

एक तरफ़ आप का अक़ीदा है कि आप 12 रबी उल अव्वल को तशरीफ़ लाए और दूसरी

तरफ अक़ीदा है कि आप ﷺ हर वक़्त हर जगह मौजूद हैं अब बताएं आपका कौन सा अक़ीदा इन में से बातिल है ?

● मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा - अल्लाह तआला हर जगह हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर है , ज़मीन आसमान , कायनात का ज़र्रह - ज़र्रह उस से छुपा हुआ नहीं , अल्लाह तआला के अलावा मखलूक़ में किसी को हर जगह हर वक्त मानना सही नहीं है ।

○ इसीलिए फ़िक़ह हनफ़ी की मशहूर व मारूफ़ फ़तावा बज़्ज़ाज़िया में लिखा है : हमारे उलमा ने फ़रमाया है कि जो शख़्स कहे कि बुज़ुर्गो की रूहें हाज़िर हैं और वो सब कुछ जानती हैं , ऐसा शख़्स काफ़िर है । [बज़ाज़िया बर हाशिया आलमगीरी जिल्द 2 सफ़ा - 326]

4》 क्या नबी ﷺ मुख्तार ए कुल हैं ?
○ यानी इस कायनात के तमाम इख्तियारात आप ﷺ के क़ब्ज़े में हैं या नहीं ?

बरेलवी अक़ीदा -

1 》 हुज़ूर कारखाना ए इलाही के मुख्तार ए कुल हैं .... जो चाहें जिसे चाहें बख़्श दें ।
[अल अमन वल औला सफा 230]

2》 हुज़ूर का रब हुज़ूर की इता'अत करता है।
(मआज़ल्लाह , अस्तग़फिरुल्लाह)
[अल अमन वल औला सफ़ा 120]

3》 हुज़ूर सारी खुदायी के मालिक हैं ।
[तफ़सीर अल क़ुरआनुल् करीम , अहमद यार खान हाशिया नं 7 सफा 589]

● क़ुर'आनी फ़ैसला -

अल्लाह तआला का इर्शाद है -

नबियों ने अपनी क़ौम से कहा) - और हमारे अख्तियार की बात नहीं कि हम खुदा के हुक्म के बग़ैर तुम को मोजज़ा दिखायें और खुदा और खुदा ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए ।
[सूरः इब्राहीम : आयत नं. 11]

इस आयत से बिल्कुल साफ़ वाज़ेह है कि बग़ैर अल्लाह के हुक्म के नबियों को मोजज़ा दिखाने का भी अख्तियार नहीं फ़िर मुख्तार ए कुल कहां से हो गये ?

● असल में बाज़ लोगों इस इस से धोखा लगा कि जब आप ﷺ ने चाँद की तरफ़ इशारा किया तो दो टुकड़े हो गये , कभी दरख्त को गवाही के लिए बुलाया तो ज़मीन चीरता हुआ गवाही देने आया, वगैरह वगैरह, तो लिहाज़ा नबी ﷺ मुख्तार ए कुल हैं ,

लेकिन बात समझने की ये है कि ये तमाम चीज़े मोजज़े हैं , और मोजज़ा इसे कहते हैं

कि वह काम तो नबी के हाथ मुबारक से हुआ हो लेकिन उसके पीछे अल्लाह की क़ुदरत से हो (यानी अल्लाह ने किया हो) ।

जैसे - हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कहते कुम बिइज़्निल्लाह - यानी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा , तो मुर्दों में जान अल्लाह डालता लेकिन मोजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ज़ाहिर होता ।

● हदीस में सराहत -
हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से रिवायत है कि रसूल ए अकरम (ﷺ) ने (इन्तिक़ाल के वक्त) अपने चचा (अबू तालिब) से फ़रमाया लाइला–ह– इल्लल्लाह कह दीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन गवाही दे सकूं , अबू तालिब ने जवाब में कहा क़ुरैश मुझे बदनाम करेंगे और कहेंगे अबू तालिब ने (मौत के) डर की वजह से ऐसा किया, अगर ये डर न होता तो मैं कलिमा पढ़ कर आपकी आंखे ठंडी कर देता।
[सही मुस्लिम : 135]

इसी पर अल्लाह तआला ने आयत :
(اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَا ءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ)

नाज़िल फ़रमायी , यानी (ऐ नबी जी) हक़ीक़त ये है कि आप जिसे चाहें हिदायत तक नहीं पहुंचा सकते बल्कि अल्लाह जिस को चाहता है हिदायत तक पहुंचा देता है , और हिदायत क़ुबूल करने वालों को वही ख़ूब जानता है ।
[सूरः क़सस आयत नं : 56]

● इस हदीस से साफ पता चलता है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह देता हो , तो फ़िर मुख्तार ए कुल का अक़ीदा कहां से साबित हुआ?

इसलिए मुख्तार ए कुल सिर्फ अल्लाह है । तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम , सहाबा, औलिया, फ़रिशते , जिन्नात और हम सब हत्ता की हर मख़्लूक़ उसकी मोहताज हैं ।

5》 क्या ग़ैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं ?

○ बरेलवी मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती लिखते हैं : अम्बिया व औलिया अल्लाह से मदद मांगना या उनको हाजत रवां जानना न शिर्क है न अल्लाह की बग़ावत बल्कि ऐन क़ानून ए इस्लामी और मन्शा ए इलाही के बिल्कुल मुताबिक़ है ,
[जा अल्हक़ सफ़ा 193-213]

● क़ुर'आनी फ़ैसला -
क़ुरआन में है :

● اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

तर्जुमा - ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं ।

यहां दो बातों की वज़ाहत है -
1》 इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए,
2》 मदद भी अल्लाह ही से मांगनी चाहिए ।

● हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि (इय्या-क- नाबुदु) के मानी ये हैं कि ऐ हमारे रब हम ख़ास तेरी ही तौहीद मानते हैं और तुझ से डरते हैं और तेरी ही ज़ात से उम्मीद रखते हैं , और तेरे सिवा किसी और की न हम इबादत करें न डरें न उम्मीद रखें , और (व इय्या-क नस्तईन) से मुराद है कि हम तेरी तमाम इता'अत और अपने कामों में तुझ ही से मदद मांगते हैं ।
[तफ़्सीर इब्ने कसीर , सफ़ा 34]

कुछ लोग धोखा देने के लिए कहते हैं मदद तो पुलिस से भी मदद लेते हैं , मदद तो एम्बुलेंस से भी लेते हैं यहां तक हर शख़्स से मदद लेते हैं क्या ये भी शिर्क है ?

तो अच्छी तरह समझें मदद की 2 क़िस्में हैं -

1- अस्बाब के साथ मदद
2- ज़ाहिरी सबब से हट कर मदद

मिसाल - किसी को प्यास लगी उसने किसी से पानी लाने को कहा , दूसरा शख़्स जिससे पानी मांगा गया , वो सामने है , उसने फ्रिज खोली पानी को गिलास में लाकर दे दिया,

- अब देखें जिससे पानी मांगा गया वो सामने भी है , फ्रिज असबाब भी मौजूद है , और पानी लाना उस बंदे के अख्तियार में हो , इसलिए ये शिर्क नहीं है ।

दूसरी क़िस्म ये की कोई अल्लाह के सिवा किसी बन्दे से मदद के लिए कह रहा लेकिन वो बन्दा सामने नहीं है , न कोई असबाब मौजूद है उस तक बात पहुंचाने का तो ऐसी मदद मांगना शिर्क है क्योंकि ऐसी पुकार जो हम चाहे जहां हों वो सिर्फ अल्लाह सुनने वाला है ।

या ये कि कोई सामने भी है और हम उससे ऐसी मदद के लिए कह रहे जो उसके अख्तियार में ही नहीं , जो काम सिर्फ अल्लाह

या ये कि कोई सामने भी है और हम उससे ऐसी मदद के लिए कह रहे जो उसके अख्तियार में ही नहीं , जो काम सिर्फ अल्लाह

के अख्तियार में हैं जैसे - किसी को बेटा-बेटी देना , पानी बरसाना , रोज़ी देना , ज़िंदगी - मौत, बीमारी - सेहत देना , तो ऐसी चीज़े अगर किसी से भी मांगी गयी सिवाय अल्लाह के तो ये शिर्क है ।

और अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन शिर्क की माफ़ी उसके वहां नही है ।

अल्लाह हम सब की हर तरह के शिर्क से हिफ़ाजत फ़रमाए । आमीन ।

●●●●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●

●

● क्या ग़ैरुल्लाह को सजदा कर सकते हैं ?
क़ुरआन में है -

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

तर्जुमा - ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं ।

यहां दो बातों की वज़ाहत है - 1》 इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए,
2》 मदद भी अल्लाह ही से मांगनी चाहिए ।

याद रखें सजदा एक ख़ास इबादत है जो सिर्फ अल्लाह का हक़ है , अब अगर कोई किसी पीर या किसी की कब्र का सजदा करता है तो वो ग़ैरुल्लाह की इबादत कर रहा जो कि शिर्क है जैसा ऊपर की आयत से वाज़ेह है , इबादत के लायक़ सिर्फ अल्लाह है ।

● अब बाज़ लोग धोखा देने के लिए कहते हैं कि हम तो ताज़ीम के लिए सजदा करते हैं न की इबादत के लिए ,

तो याद रखें ये भी हराम है जिसकी सराहत फ़ुक़हा ने अच्छी तरह से की है ।

• क़ुर'आनी फ़ैसला -

अल्लाह तआला का इर्शाद है -

• وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

और उस की क़ुदरत के नमूने हैं रात और दिन और सूरज और चाँद, सज्दा न करो सूरज को और न चाँद को , और सज्दा करो अल्लाह को जिसने उन को बनाया अगर तुम उसी (यानी अल्लाह) की इबादत करते हो ।
[सूरः फ़ुस्सिलात , आयत नं. 37]

• अल्लाह तआला के सिवा किसी का सज्दा जाएज़ नहीं है- इस आयत से साबित हुआ कि सज्दा सिर्फ खालिक़ ए कायनात का हक़

है , उस के सिवा किसी सितारे या इन्सान वगैरह को सज्दा हराम है , ख्वाह इबादत की नियत से हो या महज़ ताज़ीम व तकरीम की नियत से , दोनों सूरतें इजमा के साथ हराम हैं , फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि जो इबादत की नियत से किसी को सज्दा करेगा वो वो काफ़िर हो जायेगा, और जिस ने महज़ ताज़ीम व तकरीम के लिए सज्दा किया उस को काफ़िर न कहेंगे मगर इर्तिकाब ए हराम का मुजरिम और फ़ासिक़ कहा जायेगा ।

● सज्दा इबादत तो अल्लाह के सिवा किसी को किसी उम्मत को या किसी शरिअत में हलाल नहीं रहा क्योंकि वो शिर्क में दाखिल है , शिर्क तमाम अम्बिया की शरिअत में हराम रहा अलबत्ता किसी को ताज़ीमी सज्दा करना ये पिछली शरिअतों में जायज़ था , दुनिया में आने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सब फ़रिशतों को सज्दा का हुक्म हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद और भाईयों ने सज्दा किया जिस का

ज़िक्र क़ुरआन में मौजूद है, लेकिन फ़ुक़हा ए किराम का इस बात पर इत्तेफाक़ है कि ये हुक्म पिछली शरिअतों का है , इस उम्मत में ये मंसूख क़रार दिया गया , और ग़ैरुल्लाह को सज्दा मुतलक़न हराम क़रार दिया गया ।

● हदीस में सराहत -

○ हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया अगर मैं किसी को ये हुक्म कर सकता कि वो किसी ग़ैरुल्लाह को सज्दा करे तो मैं यक़ीयन औरत को हुक्म करता कि वो अपने ख़ाविन्द को सज्दा करे । [मिशकातुल महसाबीह : 3265]

अल्लाह तआला हम सब को हक़ क़ुबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए । आमीन ।

○ ● ○ ● ○ ●

● ○ ● ○ ●

○ ● ○

●